औषधि परीक्षण में पारदर्शिता का सवाल

ऐसा लगता है कि कई दवा कंपनियां नई औषधियों के परीक्षणों के प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने पर उन्हें प्रकाशित नहीं करती हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे एक वैज्ञानिक व नैतिक दायित्व मानता है।

पिछले दिनों एक अध्ययन की खबर ने औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। यह अध्ययन दवाइयों के परीक्षणों को लेकर था। मीडिया ने इस अध्ययन को अपनी चिर-परिचित सनसनीखेज़ शैली में प्रस्तुत किया। यह कहा गया कि उक्त अध्ययन से पता चला है कि दवाइयां असरदार नहीं होतीं। अलबत्ता, यह अध्ययन कहीं अधिक गंभीर मुद्दे उठाता है।

इस अध्ययन को करने वाले शोधकर्ता पिछले वर्षों में किए गए दवा परीक्षणों के आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहते थे। वे यह देखना चाहते थे कि दवाइयों के परीक्षणों के आंकड़े उनकी प्रभाविता के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कुछ दवाइयों को चुना था। इनके परीक्षण शुरू होने की जानकारी उनके पास थी। मगर इनमें से कई परीक्षणों के परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इन्हें कहीं प्रकाशित ही नहीं किया गया था। अंततः शोधकर्ताओं को यू.एस. खाद्य व औषधि प्रशासन से यह जानकारी सूचना के अधिकार का उपयोग करके प्राप्त करनी पड़ी थी। यह अपने आप में चिंता का विषय है।

जब यह जानकारी प्राप्त हुई, तो काफी आधी-अधूरी थी। इन गुमशुदा आंकड़ों के चलते उन्हें अपना अध्ययन सीमित करना पड़ा था। बहरहाल, जो आंकड़े प्राप्त हुए, उनसे पता चला है कि दवाइयों के कई क्लिनिकल परीक्षण शुरू तो किए जाते हैं, मगर नकारात्मक परिणाम मिलने पर उन्हें प्रकाशित ही नहीं किया जाता। परिणाम यह होता है कि दवाई को मंज़ूरी दिलवाने के लिए मात्र सकारात्मक परिणाम ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे औषधि विज्ञान का काफी नुकसान होता है और दवाइयों का सही आकलन भी नहीं हो पाता।

यह मांग काफी समय से की जाती रही है कि सारे क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़े प्रकाशित किए जाएं मगर ऐसा होता नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के उपाय कुछ हद तक ही सफल हुए हैं। जैसे चिकित्सा पत्रिकाओं के संपादकों की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ने यह मांग की थी कि शोधकर्ता सारे क्लिनिकल परीक्षणों का ब्यौरा अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर में दर्ज करें। इसके बाद एक महीने में यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में दर्ज क्लिनिकल परीक्षणों की संख्या लगभग दुगनी हो गई थी। इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी समस्त क्लिनिकल परीक्षणों का पंजीकरण 'वैज्ञानिक व नैतिक दायित्व' घोषित किया है।

इन प्रयासों के बावजूद स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। आज भी क्लिनिकल परीक्षण पर शोध करने वालों को खोज-खोज कर ऐसे परीक्षणों के आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। उपरोक्त सीमित सफलता के मद्दे नज़र अब यह मांग उठ रही है कि यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि सारे क्लिनिकल परीक्षणों के परिणाम भी प्रकाशित हों। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***